2011:सीजीएचसी:10306-डीबी

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,

युगल पीठ

कोरम - माननीय श्री टी.पी शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एन चंद्राकर, न्यायाधीशगण

दांडिक अपील क्रमांक-1023/2004

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थीगण- जंगल उर्फ रामशरण एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थी- छत्तीसगढ़ राज्य

एवं

दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक -591/2004

आवेदक - किशन लाल

बनाम

अनावेदक- श्रीमती चंद्र कुमारी एवं अन्य

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

सही /-
टी.पी शर्मा
न्यायाधीश

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एन चंद्राकर</u>

मैं सहमत हूँ ।

सही/-
आर.एन चंद्राकर
न्यायाधीश

निर्णय दिनांक 25.07.2011 को उद्घघोषित किये जाने हेतु सूचीबद्ध करें

सही/-
टी.पी शर्मा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर,</u>

कोरम - माननीय श्री टी.पी शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एन चंद्राकर न्यायाधीशगण

<u>दांडिक अपील क्रमांक-1023/2004</u>

अपीलार्थीगण- 1. जंगल उर्फ रामशरण, आयु लगभग50वर्ष, आत्मज लाल दास सतनामी, निवासी ग्राम-पेंड्री, थाना-नवागढ़, वर्तमान निवासी गुरुघासीदास नगर, युग निर्माण स्कूल के पीछे, कैंप-2, शारदापारा, थाना-छावनी, जिला-दुर्ग।

2. रामेश्वर उर्फ रमेश, आयु लगभग 25 वर्ष, आत्मज जंगल उर्फ रामशरण जांगड़े, निवासी गुरुघासीदास नगर, युग निर्माण स्कूल के पीछे, कैंप-2, शारदापारा, थाना-छावनी, जिला-दुर्ग।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना-छावनी, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़,

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत दांडिक अपील)

अपीलार्थी क्रमांक-1 की ओर से- श्री वी सी ओत्तलवार सहित श्री राजीव श्रीवास्तव एवं श्री मलय श्रीवास्तव, अधिवक्तागण

अपीलार्थी क्रमांक-2 की ओर से- श्री आलोक बक्शी, अधिवक्ता,

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से- श्री जे.ए लोहानी, पैनल अधिवक्ता

<u>तथा</u>

<u>दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक -591/2004</u>

आवेदक - किशन लाल, आत्मज धनुषराम मनहरे, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी गुरुघासीदास नगर, कैंप-2, भिलाई, थाना-छावनी, तहसील एवं जिला-दुर्ग (छ.ग.)।

बनाम

अनावेदक- 1. श्रीमती चंद्र कुमारी, पति जंगल उर्फ रामशरण, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम-भैंसामुड़ा, थाना-नवागढ़, वर्तमान निवासी गुरुघासीदास नगर के सामने, युग निर्माण स्कूल, कैंप-2, शारदापारा, थाना-छावनी, तहसील एवं जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना-छावनी, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़,

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 सहपठित धारा 374 (2) के तहत दांडिक पुनरीक्षण

आवेदक की ओर से- श्रीमती किरण जैन अधिवक्ता,

अनावेदक क्रमांक-1 की ओर से - श्री अरविंद सिन्हा, अधिवक्ता,

राज्य/अनावेदक क्रमांक-2 की ओर से- श्री जे.ए लोहानी, पैनल अधिवक्ता

<u>निर्णय</u>

(25 जुलाई 2011 को घोषित)

<u>न्यायालय का निर्णय टी.पी शर्मा, न्यायाधीश द्वारा घोषित किया गया।</u>

1. सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र विचारण क्रमांक- 234/2003 में पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश दिनांक 18.10.2004 के विरुद्ध अपीलार्थीगण जंगल उर्फ रामशरण एवं रामेश्वर उर्फ रमेश की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमांक-1023/2004, तथा पीड़ित किशन लाल द्वारा उसी निर्णय के विरुद्ध दोषमुक्त की गई अभियुक्त श्रीमती चंद्र कुमारी के विरुद्ध प्रस्तुत दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक- 591/2004, का निराकरण इस समान निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. उपरोक्त दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 18.10.2004, जो कि सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 234/2003 में पारित किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त श्रीमती चंद्र कुमारी और संजय कुमार को दोषमुक्त करते हुए, अपीलार्थीगण जंगल उर्फ़ रामशरण और रामेश्वर उर्फ़ रमेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 एवं धारा 323 के तहत सिद्धदोष किया गया और उन्हें आजीवन कारावास तथा 100/- रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया, जुर्माने के व्यतिक्रम पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा तथा 200/- रुपये का जुर्माना, जुर्माने के व्यतिक्रम पर तीन माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी जंगल उर्फ़ रामशरण को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत भी दोषसिद्ध किया और उसे तीन माह के सश्रम कारावास का दंडादेश दिया।

3. अपीलार्थीगण जंगल उर्फ़ रामशरण और रामेश्वर उर्फ़ रमेश की दोषसिद्धि को दांडिक अपील क्रमांक- 1023/2004 में चुनौती दिया गया है तथा अभियुक्त श्रीमती चंद्र कुमारी की दोषमुक्ति को दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 591/2004 में चुनौती दिया गया है।

4. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, घटना दिनांक 13.3.2003 को लगभग शाम 4 बजे, किशनलाल (अ.सा-8) की पत्नी श्रीमती माधवी (अ.सा.-2) टैंकर से पानी ला रही थी, सह-अभियुक्त महेश (किशोर अपराधी) ने उसकी लज्जा भंग करने के आशय से धक्का दिया। अभियुक्त महेश के इस कृत्य के जबाब में श्रीमती माधवी (अ.सा-2) ने उसे गाली दिया, जिस पर महेश ने उसके बाल पकड़ लिए और हाथ-मुक्कों से उसके साथ मारपीट किया, उसी समय गेंदलाल उसे बचाने आया और उसने महेश को घटनास्थल से हटा दिया। महेश अपने घर गया और वर्तमान अपीलार्थीगण तथा दोषमुक्त अभियुक्त कुमारी उर्फ़ चंद्रकुमारी के साथ वापस आया, वे तलवार और डंडे पकड़े हुए थे, उन्होंने गेंदलाल पर तलवार और डंडे से हमला किया और गंभीर चोटें पहुँचाईं। जब किशनलाल (अ.सा.-8) और श्रीमती माधवी (अ.सा.-2) ने झगड़े के बीच-बचाव का प्रयास किया, तब अपीलार्थीगण ने उन पर भी हमला किया। उक्त घटना कारित करने के बाद अपीलार्थीगण सह-अभियुक्त के साथ किशनलाल (अ.सा.-8) की दुकान पर गये और दुकान में रखी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया। गेंदलाल बुरी तरह घायल हो गया था, किशनलाल (अ.सा.-8) घायल-गेंदलाल को बी.एस.पी. अस्पताल सेक्टर-9 ले गया जहाँ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसने प्रदर्श पी/15 के अनुसार देहाती नालिशी दर्ज कराया और प्रदर्श पी/15 के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) प्रदर्श पी/19 दर्ज किया गया। घायल गेंदलाल का परीक्षण डॉ. ए.पी. सावंत (अ.सा.-5) द्वारा प्रदर्श पी/8 के अनुसार किया गया और उनके द्वारा निम्नलिखित चोटें पाया गया:

1. स्कैल्प पर हड्डी की गहराई तक 6 सेमी. **x** 2 सेमी. का कटा हुआ घाव ।

2. सिर के मध्य भाग पर हड्डी की गहराई तक 6 सेमी. **x** 2 सेमी. का कटा हुआ घाव ।

3. बाये पेराइटल भाग पर हड्डी की गहराई तक 10 सेमी. **x** 2 सेमी. का कटा हुआ घाव।

4. ऑक्सिपिटल भाग पर हड्डी की गहराई तक 6 सेमी. **x** 2 सेमी. का कटा हुआ घाव।

5. सिर के पश्च भाग पर 10 सेमी. **x ½** सेमी. **x ½** सेमी. का कटा हुआ घाव।

6. दाहिने पेराइटल भाग पर हड्डी की गहराई तक 14 सेमी. **x** 2 सेमी. का कटा हुआ घाव ।

7. दाहिने तथा बाये तर्जनी अंगुलियों पर 2 सेमी. **x ½** सेमी. **x ½** सेमी. का कटा हुआ घाव।

उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर थी, वह अचेत था और उसे तत्काल शल्य चिकित्सा वार्ड (सर्जिकल वार्ड) में भर्ती किया गया। इसी साक्षी द्वारा सुरेश कुमार का भी परीक्षण प्रदर्श पी/9 के अनुसार किया गया और उसके दाहिने पैर के अंगूठे पर 2 सेमी. **x ½** सेमी. **x ½** सेमी. का एक फटा हुआ घाव पाया गया। श्रीमती माधवी (अ.सा.-2) का परीक्षण डॉ. ए.पी. सावंत (अ.सा.-5) द्वारा प्रदर्श पी/10 के अनुसार किया गया और दाहिने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

टिबिया (पैर की हड्डी) के ऊपर 4 सेमी. **x ½** सेमी. **x ½** सेमी. का फटा हुआ घाव पाया गया। घायल किशनलाल का भी परीक्षण इसी डॉक्टर द्वारा प्रदर्श पी/11 के अनुसार किया गया और दाहिनी तर्जनी एवं मध्यमा अंगुली तथा बाईं तर्जनी एवं मध्यमा अंगुली पर 4 सेमी. **x** 2 सेमी.के दो खरोंच पाए गए। उपचार के दौरान, गेंदलाल को लगी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु की सूचना प्रदर्श पी/31 के माध्यम से दिया गया । मर्ग प्रदर्श पी/31 और पी/32 के माध्यम से दर्ज किया गया। विवेचना अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुये और साक्षियों को उपस्थिति हेतु प्रदर्श पी/13 के माध्यम से नोटिस देने के बाद, मृतक गेंदलाल के शव का मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन प्रदर्श पी/14 के माध्यम से तैयार किया। मृतक के शव को शव-परीक्षण हेतु जिला अस्पताल, दुर्ग भेजा गया, जहाँ डॉ. पी. अख्तर (अ.सा.-11) ने प्रदर्श पी/17 के माध्यम से शव परीक्षण किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. दाहिने हथेली पर 12 सेमी. लंबा टांका लगा हुआ घाव।

2. दाहिने अग्र भाग (ललाट) पर 8 सेमी. लंबा टांका लगा हुआ घाव।

3. सिर पर 7 सेमी. लंबा टांका लगा हुआ घाव।

4. सिर पर 10 सेमी. लंबा टांका लगा हुआ अर्धचंद्राकार घाव ।

5. बाये पेराइटल भाग पर 10 सेमी. लंबा टांका लगा हुआ घाव ।

6. ऑक्सिपिटल भाग पर 7 सेमी. लंबा टांका लगा हुआ घाव।

7. बाये पेराइटल भाग पर 10 सेमी. लंबा टांका लगा हुआ घाव ।

8. ऑक्सिपिटल भाग पर 7.5 सेमी. लंबा टांका लगा हुआ घाव ।

9. ऑक्सिपिटल भाग पर 10 सेमी. लंबा टांका लगा हुआ घाव ।

10. दाहिने तर्जनी अंगुली पर 4 सेमी. **x ½** सेमी. का कटा हुआ घाव।

11. मस्तिष्क के आतंरिक भाग पर हेमाटोमा (रक्त का थक्का) पाया गया।

12. ऑक्सिपिटल अग्र अस्थि में अस्थिभंग पाया गया पेराइटल अस्थि अग्र लोब्स के सतह पर सबड्युरल हेमाटोमा (रक्त का थक्का) तथा दोनों पेराइटल लोब्स का आकार 14" **x** 12" था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृत्यु का कारण शॉक (सदमा) था। विवेचना के दौरान, अपीलार्थी जंगल उर्फ रामशरण को अभिरक्षा में लिया गया, उसने प्रदर्श पी/2 के माध्यम से लाठी (डंडा) बरामद करने के संबंध में प्रकटीकरण कथन दिया और उसकी निशानदेही पर प्रदर्श पी/5 के माध्यम से लाठी बरामद किया गया। अपीलार्थी जंगल उर्फ रामशरण के रक्त रंजित कपड़े प्रदर्श पी/6 के माध्यम से ज़ब्त किया गया। अभियुक्त चंद्रकुमारी बाई ने प्रदर्श पी/3 के माध्यम से तलवार के संबंध में प्रकटीकरण कथन दिया और उसकी निशानदेही पर प्रदर्श पी/7 के माध्यम से तलवार बरामद किया गया। मृतक के रक्त रंजित कपड़े

किशनलाल से प्रदर्श पी/4 के माध्यम से ज़ब्त किया गया। घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी एवं सादी मिट्टी, टूटी हुई चूड़ियाँ और बांस की लाठी प्रदर्श पी/12 के माध्यम से ज़ब्त किया गया। मृतक के सीलबंद कपड़े प्रदर्श पी/21 के माध्यम से ज़ब्त किया गया । अपीलार्थी रामेश्वर उर्फ रमेश कुमार के पास से प्रदर्श पी/22 के माध्यम से एक तलवार ज़ब्त किया गया। ज़ब्त की गई वस्तुओं को प्रदर्श पी/23 के माध्यम से रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया था और प्रदर्श पी/29 के माध्यम से इस बात की पुष्टि हुई कि अपीलार्थी जंगल से बरामद कपड़ों एवं लाठी पर, तथा अभियुक्त चंद्रकुमारी से बरामद तलवार पर रक्त मौजूद था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दंड प्रक्रिया संहिता,1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के तहत साक्षीगण के कथन अभिलिखित किये गये और विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने तत्पश्चात मामला सत्र न्यायालय,दुर्ग को उपार्पित किया।

6. अभियुक्त/अपीलार्थीगण के अपराध को प्रमाणित करने हेतु, अभियोजन पक्ष ने कुल सोलह साक्षियों का परीक्षण किया। अभियुक्त/अपीलार्थीगण के कथन संहिता की धारा 313 के तहत अभिलिखित किये गये, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध प्रकट होने वाली परिस्थितियों से इनकार किया, स्वयं को निर्दोष बताया तथा प्रश्नगत अपराध में झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया ।

7. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त श्रीमती चंद्रकुमारी और संजय कुमार को दोषमुक्त करते हुए, अपीलार्थी जंगल उर्फ रामशरण और रामेश्वर उर्फ रमेश को उपरोक्तानुसार सिद्धदोष ठहराया है। किशोर अपराधी महेश के विरुद्ध आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

8. हमने दांडिक अपील क्रमांक-1023/2004 में अपीलार्थी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री वी.सी.ओत्तलवार सहित श्री राजीव श्रीवास्तव एवं श्री मलय श्रीवास्तव, अपीलार्थी क्रमांक-2 की और ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री आलोक बख्शी तथा राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित पैनल अधिवक्ता श्री जे.ए. लोहानी एवं दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक-591/2004 में आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्रीमती किरण जैन, अनावेदक क्रमांक-1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री अरविंद सिन्हा तथा राज्य/अनावेदक क्रमांक-2 की ओर से उपस्थित पैनल अधिवक्ता श्री जे.ए.लोहानी को सुना, तथा आक्षेपित निर्णय एवं विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. दांडिक अपील क्रमांक-1023/2004 में अपीलार्थी क्रमांक-1 जंगल उर्फ़ रामशरण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री वी.सी. ओत्तलवार ने दृढ़तापूर्वक तर्क प्रस्तुत किया कि दोषसिद्धि पूर्णतः हितबद्ध साक्षियों श्रीमती माधवी (अ.सा-2) और उनके पति किशनलाल (अ.सा-8) के साक्ष्य पर आधारित है, जिनका साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं करता और विश्वसनीय नहीं है, तथा उन पर विश्वास करना सुरक्षित नहीं है। श्रीमती माधवी (अ.सा

2) के साक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थी रमेश और किप्रकरणशोर अपराधी महेश ने गेंदालाल पर तलवार से हमला किया तथा अपीलार्थी जंगल और चंद्रकुमारी ने लाठी से हमला किया; उन्होंने उस पर (साक्षी पर) भी तलवार से हमला किया और महेश ने उसे तलवार से तथा रमेश ने उसे लाठी से चोट पहुँचाई। दूसरी ओर, किशनलाल (अ.सा-8) के साक्ष्य के अनुसार महेश और रमेश ने गेंदालाल पर तलवार से हमला किया तथा जंगल और चंद्रकुमारी ने गेंदालाल पर लाठी से हमला किया, साथ ही जंगल ने उसे भी लाठी से मारा। घटना के समय उन्होंने गेंदलाल को बचाने का प्रयास नहीं किया, वह तड़प रहा था। अपीलार्थीगण के पास गेंदलाल की हत्या करने का पर्याप्त अवसर था, किंतु उन्होंने उसे जान से नहीं मारा, जो यह दर्शाता है कि उन्होंने उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से चोटें नहीं पहुंचाया था। मृतक गेंदालाल के शरीर पर लाठी की कोई चोट नहीं पाया गया है। डॉ. ए.पी. सावंत (अ.सा-5) जिन्होंने प्रदर्श पी/8 के माध्यम से गेंदलाल का परीक्षण किया था, के चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार,उन्होंने सात 'कटा हुआ घाव पाए थे, जो यह दर्शाता हैं कि चोट पहुँचाते समय केवल तलवार का उपयोग किया गया था। अभियोजन के मामले के अनुसार, तलवार महेश के पास थी, जो कि एक किशोर अपराधी था। लाठी की किसी भी चोट की अनुपस्थिति में, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि महेश के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों ने गेंदालाल को चोट पहुँचाई है। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थीगण जंगल उर्फ़ रामशरण और रामेश्वर उर्फ़ रमेश की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्धि विधि के अनुसार कायम रखे जाने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि अन्य दो अभियुक्तों, चंद्रकुमारी और संजय कुमार को विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों के उसी समूह के आधार पर दोषमुक्त कर दिया है, जबकि वर्तमान अपीलार्थियों को उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर सिद्धदोष किया गया है, अतः वर्तमान अपीलार्थीगण भी समतुल्यता के आधार पर दोषमुक्ति के हक़दार हैं। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन ने वर्तमान अपीलार्थीगण के विरुद्ध सामान्य आशय साझा करने हेतु किसी भी प्रत्यक्ष भूमिका से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. विद्वान अधिवक्ता ने **मिल्कियत सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य**[1] के प्रकरण का अवलंब लिया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियोजन पक्ष की कहानी का एक हिस्सा संदेहास्पद पाया जाता है, तो इससे पूरी कहानी आवश्यक रूप से असत्य नहीं हो जाती, किंतु ऐसी स्थिति में कथित चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा बताए गए शेष वृत्तांत पर विश्वास करने से पूर्व उसका सूक्ष्मता एवं सावधानी से परीक्षण किया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **नारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[2], **हट्टी सिंह बनाम हरियाणा राज्य**[3], और **नानकुन एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)**[4] के प्रकरणों का अवलंब लिया है, जिनमें माननीय उच्चतम

1 AIR 1981 SC 1579

2(2004) 2 SCC 455

3(2007) 12 SCC 471

42010(2) C.G.L.J 483 (DB)

न्यायालय और इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि साक्ष्यों के उसी (समान) समूह के आधार पर कुछ अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अन्य अभियुक्तों को सिद्धदोष नहीं किया जा सकता। विद्वान अधिवक्ता ने **नगरजा बनाम कर्नाटक राज्य**[5] के प्रकरण का भी अवलंब लिया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि केवल ललकारना सामान्य आशय का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है, या अभियुक्तों में से किसी एक के द्वारा मात्र यह ललकारना कि "वे उसे (मृतक को) जिंदा नहीं छोड़ेंगे", सभी अभियुक्तों को मामले में फंसाने का आधार नहीं हो सकता। विद्वान अधिवक्ता ने **वीरेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[6] के प्रकरण का अवलंब लिया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि 'सामान्य आशय' का तात्पर्य एक पूर्व-नियोजित योजना और उस योजना के अनुसरण में मिलकर कार्य करने से है। समय की दृष्टि से, सामान्य आशय अपराध कारित होने से पूर्व अस्तित्व में आता है, जिसके लिए बहुत लंबा अंतराल नहीं होना चाहिये। किसी विशिष्ट परिणाम को प्राप्त करने का सामान्य आशय कई व्यक्तियों के बीच घटनास्थल पर भी विकसित हो सकता है। मामले के तथ्यों और परिस्थिति के संदर्भ में, यद्यपि सामान्य आशय मौके पर विकसित हो सकता है, तथापि इसे अपराध के घटित होने के समय से पूर्ववर्ती होना चाहिए, जो एक पूर्व-नियोजित योजना और पूर्व-सहमति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5(2008) 17 SCC 277

62010(6) Supreme 795

को दर्शाता हो। सामान्य आशय लड़ाई के दौरान भी विकसित हो सकता है, लेकिन उस निष्कर्ष को न्यायोचित ठहराने के लिए स्पष्ट और अकाट्य साक्ष्य होने चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **एम.सी. अली एवं अन्य बनाम केरल राज्य**[7] के प्रकरण का अवलंब लिया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की जाती है, तो अभियुक्त दोषमुक्ति का हक़दार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अपीलार्थी क्रमांक-2 के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी क्रमांक-1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को अपनाया है और यह तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी क्रमांक-2 के विरुद्ध विचाराधीन अपराध से उसे जोड़ने के लिए साक्ष्य एकत्रित नहीं किया हैं, इसलिए वह दोषमुक्त किये जाने का हक़दार है।

12. दांडिक पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 591/2004 में आवेदक किशन लाल के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष ने अनावेदक क्रमांक-1 चंद्रकुमारी को प्रश्नगत अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अपीलार्थीगण जंगल और रामेश्वर के साथ-साथ अनावेदक क्रमांक-1 चंद्रकुमारी की दोषसिद्धि के लिए भी पर्याप्त हैं, किंतु विचारण न्यायालय ने उसे अनुचित रूप से दोषमुक्त कर दिया है।

72010(2) C.G.L.J 421 (DB)

13. अनावेदक क्रमांक-1 चंद्रकुमारी के विद्वान अधिवक्ता ने दांडिक पुनरीक्षण का विरोध किया और तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने चंद्रकुमारी के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित नहीं किया हैं तथा विचारण न्यायालय ने उन्हें उचित रूप से दोषमुक्त किया है।

14. दूसरी ओर, विद्वान पैनल अधिवक्ता ने अपील का विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन ने अपीलार्थीगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किया हैं और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन करने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने अन्य सह-अभियुक्तों को साक्ष्य की अपर्याप्तता के आधार पर दोषमुक्त करते हुए, अपीलार्थीगण को उपरोक्तानुसार सिद्धदोष किया है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों का विवेचन करने के लिए, हमने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है।

16. वर्तमान मामले में, मृतक गेंदलाल के शरीर पर पाई गई घातक चोटों के परिणामस्वरूप हुई मानव-वध प्रकृति की मृत्यु और किशनलाल को आई सामान्य चोटों को अपीलार्थीगण की ओर से मुख्य रूप से विवादित नहीं किया गया है; अन्यथा भी , यह डॉ. ए.पी. सावंत (अ सा-5) के साक्ष्य, गेंदलाल की चोट रिपोर्ट प्रदर्श पी/8, घायल किशनलाल की चोट रिपोर्ट प्रदर्श पी/11, डॉ. पी. अख्तर (अ सा-11) के साक्ष्य और शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी/17 से भी स्थापित होता है। गेंदलाल की मृत्यु की प्रकृति मानव-वध थी और किशनलाल के शरीर पर सामान्य चोटें पाई गई थीं।

17. जहाँ तक विचाराधीन अपराध में अपीलार्थीगण की संलिप्तता और अनावेदक चंद्रकुमारी के विरुद्ध अभियोगात्मक साक्ष्य का प्रश्न है, अभियोजन पक्ष ने कथित घायल चक्षु दर्शी साक्षी श्रीमती माधवी (अ.सा.-2), कथित घायल चक्षुदर्शी श्रीमती पुष्पा देवी (अ.सा.-3), कथित घायल साक्षी किशनलाल (अ.सा.-8), घायल साक्षी संतोष कुमार (अ.सा.-12) और सुरेश (अ.सा.-14) के साक्ष्यों पर भरोसा जताया है। घायल साक्षी किशनलाल (अ.सा.-8) के साक्ष्य के अनुसार, घटना के समय उसकी पत्नी श्रीमती माधवी (अ.सा.-2) टैंकर से पानी लेकर अपने घर वापस आ रही थी, तभी अभियुक्त महेश ने दुर्भावना से उसे धक्का दिया, जिसके बाद उसकी पत्नी ने महेश को गाली दिया। उस समय वह (किशनलाल) टैंकर के पास खड़ा था, तभी माधवी और महेश के बीच हाथापाई हुआ। मृतक गेंदलाल मौके पर पहुँचा और बीच-बचाव करने की कोशिश किया; वह अभियुक्त महेश को मौके से हटाने का प्रयास कर रहा था, तभी महेश अपने घर की ओर भागा और कुछ समय बाद वर्तमान अपीलार्थीगण जंगल उर्फ रामशरण, रामेश्वर उर्फ रमेश और अभियुक्त चंद्रकुमारी के साथ आया। महेश और रमेश के हाथ में तलवार थी तथा जंगल और चंद्रकुमारी लाठी लिए हुए थे। सभी अपीलार्थीगण ने तलवार और लाठी से गेंदलाल पर हमला किया; पानी की बाल्टी छोड़कर वह अपने भाई गेंदलाल की ओर भागा, जहाँ अपीलार्थी जंगल ने उसके बाएं हाथ पर लाठी से वार किया। गेंदलाल तड़प रहा था, अपीलार्थीगण ने समझा कि गेंदलाल की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद वे घटनास्थल से चले गए। वे गेंदलाल को पुलिस थाने ले गए, उसी समय अपीलार्थीगण उसके घर पहुँचे और पुनः उसके साथ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मारपीट किया तथा उसकी दुकान की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया। उसने प्रदर्श पी/15 के माध्यम से 'देहाती नालिशी' दर्ज कराया। पुलिस ने उसे और उसके भाई गेंदलाल को चिकित्सीय उपचार हेतु भेजा और उपचार के दौरान गेंदलाल की मृत्यु हो गई। किशनलाल (अ.सा-8) की पत्नी श्रीमती माधवी (अ.सा-2) ने किशनलाल के साक्ष्य की दृढ़ता के साथ संपुष्टि की है। श्रीमती पुष्पा देवी (अ.सा-3) ने भी किशनलाल (अ.सा-8) के साक्ष्य की संपुष्टि की है। संतोष कुमार (अ.सा.-12) के साक्ष्य के अनुसार, उसने झगड़े की आवाज़ सुनी, फिर वह मौके की ओर बढ़ा जहाँ उसने घायल गेंदलाल को ज़मीन पर पड़ा देखा और अपीलार्थी रमेश तथा अभियुक्त महेश हाथ में तलवार लिए हुए थे तथा अपीलार्थी जंगल और उसकी पत्नी हाथ में लाठी लिए हुए थे, वे गेंदलाल पर हमला कर रहे थे। सुरेश (अ.सा.-14) ने भी किशनलाल (अ.सा-8) के साक्ष्य की संपुष्टि की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. बचाव पक्ष ने सुरेश (अ.सा-14) से विस्तार से प्रति-परीक्षण किया है, जिसमें उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि महेश घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था। कंडिका-7 के अनुसार, उसने भी बीच-बचाव करने का प्रयास किया था। उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि गेंदलाल द्वारा उसके पिता को दी गई मदद के कारण वह गेंदलाल के समर्थन में वर्तमान अपीलार्थीगण को झूठा फंसा रहा है। बचाव पक्ष ने संतोष कुमार (अ.सा.-12) से विस्तृत प्रति-परीक्षण किया है। अपनी विस्तृत प्रतिपरीक्षण की कंडिका-7 में उसने विशेष रूप से यह बयान दिया है कि घटना से पूर्व वह गेंदलाल को नहीं जानता था।

उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि गेंदलाल एक आदतन अपराधी था। उसने इस सुझाव से भी इंकार है कि शिकायतकर्ता पक्ष के साथ मिलकर उसने अभियुक्त पक्ष को प्रताड़ित किया है। बचाव पक्ष ने किशनलाल (अ.सा-8) से विस्तार से प्रति-परीक्षण किया है। अपनी विस्तृत प्रतिपरीक्षण में उसने स्पष्ट रूप से यह बयान दिया है कि घटना के समय वह घटना स्थल के पास मौजूद था। उसने दुकान के कारण ईर्ष्या की भावना होने वाले सुझाव से इनकार किया है और अपने भाई गेंदलाल के आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित सुझाव से भी इंकार किया है। उसने दोनों पक्षों के बीच शत्रुता के सुझाव से भी इनकार किया है। उसके प्रतिपरीक्षण की कंडिका-11 के अनुसार, अपीलार्थी जंगल उसका पड़ोसी है। उसने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-18 में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय संजय घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था, परंतु उसकी दुकान में घटित घटना के समय संजय उपस्थित था। उसने घटना के समय अपनी दुकान में सुरेश (अ.सा.-14) की उपस्थिति को स्वीकार किया है। श्रीमती माधवी (अ.सा-2) के विस्तृत प्रति-परीक्षण में, उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि पहले उसे अभियुक्त महेश द्वारा धक्का दिया गया था और उसके पश्चात घटना घटित हुई और सभी अपीलार्थीगण ने गेंदलाल पर हमला किया। श्रीमती पुष्पा देवी (अ.सा-3) ने भी अपने प्रति-परीक्षण में यही कथन किया है। उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य में कुछ विरोधाभास और लोप मौजूद हैं। वे नातेदार साक्षी हैं, परंतु केवल उनके रिश्तेदार होने के आधार पर उनके साक्ष्य को त्यक्त नहीं किया जा सकता; इसके विपरीत, एक करीबी रिश्तेदार वास्तविक अपराधी को बचाने और किसी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाने वाला अंतिम व्यक्ति होगा। शत्रुतापूर्ण और नातेदार साक्षियों के मामले में, वास्तविक अपराधी के साथ किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने या अतिशयोक्ति की संभावना को बाहर करने के लिए उनके साक्ष्यकी भावना होने वाले का सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

19. नातेदार और हितबद्ध साक्षियों के प्रश्न पर विचार करते हुए, **दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य**[8] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक गवाह को सामान्यतः तब तक 'स्वतंत्र' माना जाना चाहिए, जब तक कि वह ऐसे स्रोतों से न आता हो जिनके दूषित होने की संभावना हो। उक्त निर्णय का कंडिका 26 इस प्रकार है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "26. एक साक्षी को सामान्यतः तब तक 'स्वतंत्र' माना जाना चाहिए जब तक कि वह ऐसे स्रोतों से न आता हो जिनके दूषित होने की संभावना हो, और इसका सामान्य अर्थ यह है कि जब तक साक्षी के पास अभियुक्त को झूठा फंसाने का कोई कारण, जैसे कि शत्रुता, न हो। सामान्यतः, एक निकट संबंधी वह अंतिम व्यक्ति होगा जो वास्तविक अपराधी को बचाने का प्रयास करेगा और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाएगा। यह सत्य है कि जब भावनाएं प्रबल हों और शत्रुता का व्यक्तिगत कारण मौजूद हो, तब दोषी के साथ-साथ किसी ऐसे निर्दोष व्यक्ति को घसीटने की प्रवृत्ति

8(1954) 1 SCR 145

होती है जिसके विरुद्ध साक्षी के मन में द्वेष हो; किंतु ऐसी आलोचना के लिए आधार प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और केवल नातेदारी का तथ्य आधार होने के बजाय, अक्सर सच्चाई की एक पुख्ता गारंटी होता है।"

20. जैसा कि **मोहब्बत एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[9] के प्रकरण में शीर्ष न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नातेदारी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने का आधार नहीं है; यदि झूठा फंसाने का तर्क दिया जाता है, तो उसके लिए आधार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उक्त निर्णय का कंडिका-7 इस प्रकार है:-"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"7. मात्र इसलिए कि चक्षुदर्शी परिवार के सदस्य हैं, उनके साक्ष्य को स्वतः खारिज नहीं किया जा सकता। जब 'हितबद्धता' का आरोप लगाया जाता है, तो उसे स्थापित करना आवश्यक होता है। मात्र यह कथन कि मृतक के नातेदार होने के कारण उनके द्वारा अभियुक्त को झूठा फंसाने की संभावना है, उस साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता जो अन्यथा तर्कपूर्ण और विश्वसनीय है। हम अभियोजन पक्ष के वृत्तांत को आगे बढ़ाने के लिए साक्षियों की हितबद्धता के संबंध में दिए गए तर्क पर भी विचार करेंगे। नातेदारी किसी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। यह प्रायः देखा गया है कि एक नातेदार वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाएगा और किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध

92009 AIR SCW 1486

आरोप नहीं लगाएगा। यदि मिथ्या दोषारोपण (झूठा फंसाने) का तर्क दिया जाता है, तो उसके लिए आधार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ऐसे मामलों में, न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और यह पता लगाने के लिए साक्ष्य का विश्लेषण करना चाहिए कि क्या वह सुसंगत और विश्वसनीय है।"

21. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, **गुलि चंद एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य**[10] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मात्र यह तथ्य कि कोई साक्षी नातेदार है या उससे संबंध हैं, उसकी गवाही को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य**[11] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया कि मृतक के साथ निकट संबंध और स्नेह को देखते हुए, मृतक से संबंधित किसी भी व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने या ऐसी बातें जोड़ने की प्रवृत्ति होगी जो उन्हें शायद बताई ही न गई हों। ऐसा नहीं है कि यह जानबूझकर किया जाता है, बल्कि मृतक के प्रति प्रेम और स्नेह भी कथित हत्यारे के विरुद्ध एक मनोवैज्ञानिक घृणा पैदा कर देता

10(1974) 3 SCC 698

11 AIR 1984 SC 1622

है और इसलिए, न्यायालय को ऐसे साक्ष्य का बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ परीक्षण करना चाहिए। उक्त निर्णय का कंडिका 48 इस प्रकार है:-

> "48. साक्षियों के साक्ष्य पर चर्चा करने से पहले, हम उस पृष्ठभूमि के विरुद्ध कुछ प्रारंभिक टिप्पणियां करना चाहेंगे जिसमें मौखिक कथनों पर विचार किया जाना है। वे सभी व्यक्ति, जिन्हें मंजू द्वारा अंतिम बार बीड आने पर मौखिक कथन देना बताया गया है, मृतक के निकट संबंधी और मित्र हैं। निकट संबंध और स्नेह को देखते हुए, साक्षी की स्थिति में किसी भी व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने या ऐसी बातें जोड़ने की प्रवृत्ति होगी जो उन्हें शायद बताई ही न गई हों। ऐसा नहीं है कि यह सचेत रूप से किया जाता है, बल्कि मृतक के प्रति प्रेम और स्नेह भी कथित हत्यारे के विरुद्ध एक मनोवैज्ञानिक घृणा पैदा कर देता है और इसलिए, न्यायालय को ऐसे साक्ष्य का बहुत अधिक सावधानी और सतर्कता के साथ परीक्षण करना चाहिए। भले ही साक्षी सत्य का एक हिस्सा या शायद पूरा सत्य बोल रहे हों, फिर भी वे अभियुक्त के विरुद्ध प्रतिशोध या दंड की भावना से निर्देशित होंगे और इस प्रक्रिया में, कुछ तथ्य जो शायद नहीं कहे गए होंगे या नहीं कहे जा सकते थे, साक्षियों द्वारा अनजाने में कल्पित कर लिए जाते हैं ताकि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपराधी को दंडित किया जा सके। यह मानव मनोविज्ञान है और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता।"

23. उन चक्षुदर्शियों के साक्ष्य के महत्त्व के प्रश्न पर विचार करते हुए, जिनकी कहानी का एक हिस्सा संदेहास्पद है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मिलकियत सिंह एवं अन्य** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि हत्या के किसी मामले में अभियोजन पक्ष की कहानी का एक हिस्सा संदेहास्पद पाया जाता है, तो यह आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण अभियोजन कहानी झूठी है, परंतु ऐसी स्थिति में कथित चक्षुदर्शियों द्वारा बताई गई शेष कहानी पर भरोसा करने से पूर्व उसका सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. वर्तमान मामले में, साक्ष्यों और 'संहिता' की धारा 161 के तहत साक्षियों के अभिलिखित किये गये कथनों में कुछ लोप और विरोधाभास मौजूद हैं। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 'मिलकियत सिंह एवं अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, उनके साक्ष्य पर भरोसा करने से पूर्व उसका सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

25. जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा '**नारायण** (पूर्वोक्त), **हट्टी सिंह** (पूर्वोक्त) एवं **नानकुन व अन्य** (पूर्वोक्त) के प्रकरणों में निर्धारित किया गया है, न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह 'असत्य से सत्य को पृथक' करने का प्रयास

करे, और जहाँ ऐसा पृथक्करण असंभव हो, तब ऐसी स्थिति में दोषसिद्धि नहीं किया जा सकता।

26. ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य की विश्वसनीयता के प्रश्न पर विचार करते हुए, जिसने बढ़ा-चढ़ाकर तथ्य पेश किए हैं और कुछ हद तक धैर्यपूर्वक झूठे बयान दिए हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने लक्ष्मण एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र[12] राज्य के प्रकरण में यह अभि निर्धारित किया है कि साक्षियों को पूर्ण रूप से 'झूठा' नहीं कहा जा सकता और उनके साक्ष्यों को केवल इसलिए पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके अभिसाक्ष्यों के कुछ हिस्से स्पष्ट रूप से गलत या संदेहास्पद हैं। सुसंगत भाग इस प्रकार है:-

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "इससे पहले कि हम साक्ष्य पर आगे चर्चा करें, हम यह देख सकते हैं कि प्रोफेसर मुंस्टरबर्ग ने अपनी पुस्तक 'ऑन द विटनेस स्टैंड' (पृष्ठ क्रमांक- 51), 'लॉ एंड द मॉडर्न माइंड' (देखें: 1949 संस्करण, पृष्ठ 106) में उन व्यक्तियों के सामने अचानक, अप्रत्याशित और पूर्व-नियोजित घटनाओं को घटित करके किए गए प्रयोगों के उदाहरण दिए हैं, जिनसे बाद में यह लिखने को कहा गया कि उन्होंने क्या देखा और सुना था। इसके विस्मयकारी परिणाम यह निकले:

12. AIR 1974 SC 308

"उन व्यक्तियों के मुँह में शब्द डाल दिए गए जो उस पूरे छोटे घटनाक्रम के दौरान मूक दर्शक बने रहे थे; मुख्य प्रतिभागियों के साथ ऐसी क्रियाएं जोड़ दी गईं जिनका लेशमात्र भी अस्तित्व नहीं था; और उस दुखद प्रहसन के अनिवार्य हिस्सों को कई साक्षियों की स्मृति से पूरी तरह मिटा दिया गया था।"

अतः, प्रोफेसर ने निष्कर्ष निकाला: "हम कभी नहीं जानते, या कल्पना नहीं कर सकते"। इसलिए,साक्षियों को पूर्ण रूप से झूठा करार नहीं दिया जा सकता और उनके साक्ष्यों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, भले ही उनके बयानों के कुछ हिस्से स्पष्ट रूप से गलत या संदेहास्पद हों। एक चतुर न्यायाधीश अतिरंजित बातों और असंभाव्यताओं के 'भूसे' से स्वीकार्य तथ्य के 'दानों' को अलग कर सकता है, जिन्हें सुरक्षित रूप से या विवेकपूर्ण तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता या जिन पर कार्यवाही नहीं हो सकती। अनिवार्य रूप से अपूर्ण मानवीय अभिसाक्ष्यों के मूल्य का आकलन करते समय,"एक बात में झूठा, तो सब में झूठा" सूत्र को यांत्रिक रूप से लागू करने से इनकार करना एक व्यावहारिक ज्ञान है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. वर्तमान मामले में, उपरोक्त चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य में कुछ विरोधाभास, लोप और अतिरंजित बातो का समावेश है। बचाव पक्ष द्वारा इन साक्षियों का विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है, लेकिन अपने साक्ष्य में उन्होंने विशिष्ट और स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि घटना दो भागों में हुई थी; प्रथम चरण में, श्रीमती माधवी (अ.सा-2) को किशोर अपराधी महेश द्वारा धक्का दिया गया था, उस समय महेश और माधवी के बीच कुछ हाथापाई हुई थी और तब गेंदलाल आया और मामले में बीच बचाव किया और महेश को वहाँ से हटाने का प्रयास किया। उसके बाद महेश अपने घर चला गया और कुछ समय बाद जब किशन लाल (अ.सा-8) दो बाल्टियों में पानी ला रहा था, तब सभी चारों आरोपीगण बाहर आए; अपीलार्थी रमेश और किशोर अपराधी महेश तलवार लिए हुए थे तथा अपीलार्थी जंगल और दोषमुक्त की गई सह-अभियुक्त चंद्रकुमारी लाठी लिए हुए थे। अपीलार्थी रमेश और अभियुक्त महेश ने तलवार से गेंदलाल पर हमला किया और घातक चोटें पहुँचाईं तथा अपीलार्थी जंगल और अभियुक्त चंद्रकुमारी ने लाठी से गेंदलाल पर हमला किया। किशनलाल (अ.सा-8) ने घटना के तीन घंटे के भीतर बी.एस.पी अस्पताल सेक्टर-9, भिलाई में उपचार के दौरान प्रदर्श पी/15 के रूप में 'देहाती नालिशी' के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराया था , जिसमें उन्होंने उपरोक्त तथ्य का उल्लेख किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. कथित लोप और विरोधाभास सारभूत प्रकृति के नहीं हैं, अपितु वे तुच्छ प्रकृति के हैं। न्यायालय में अभिलिखित किये गए विस्तृत साक्ष्य और पुलिस द्वारा संहिता की धारा 161 के तहत अभिलिखित साक्षियों के कथनों में मामूली विरोधाभासों और लोपो का होना अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन केवल विरोधाभासों, लोपो और अतिशयोक्ति के आधार पर साक्षियों के साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक अभियुक्त /अपीलार्थीगण द्वारा किये गये कृत्यों के संबंध में श्रीमती माधवी (अ.सा-2), श्रीमती पुष्पा देवी (अ.सा-3), किशनलाल (अ.सा-8), संतोष कुमार (अ.सा-12) और सुरेश (अ.सा-14) के साक्ष्यों में एकरूपता/संगतता है। उनके साक्ष्यों की पुष्टि शव परीक्षण प्रतिवेदन अर्थात् चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है, जो गेंदलाल को धारदार हथियार से कारित किये गये कई चोटों को दर्शाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. श्रीमती माधवी (अ.सा-2) और श्रीमती पुष्पा देवी (अ.सा-3) को आई चोटों से संबंधित साक्ष्य को कथनों और चिकित्सीय साक्ष्य में विसंगति के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा विश्वास नहीं किया गया है। उपरोक्त गवाहों ने आरोपी संजय कुमार के विरुद्ध कुछ भी बयान नहीं दिया है और अपर्याप्त साक्ष्य/साक्ष्य के अभाव के आधार पर विचारण न्यायालय ने आरोपी संजय कुमार को दोषमुक्त कर दिया है। उपरोक्त चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थी रमेश और अभियुक्त महेश ने गेंदलाल को

तलवार से चोटें पहुँचाई थीं और अन्य अभियुक्तों ने लाठी से चोटें पहुँचाई थीं। चिकित्सक द्वारा कुल नौ 'कटा हुआ घाव' पाया गया हैं, जो पर्याप्त लंबाई और गहराई के है।

30. इस प्रकरण में, सह-अभियुक्त चंद्रकुमारी से प्रदर्श पी/7 के माध्यम से कथित तलवार बरामद किया गया है, जिस पर रक्त के धब्बे नहीं थे। वर्तमान अपीलार्थी रमेश की निशानदेही पर तलवार बरामद नहीं किया गया है। पुलिस के समक्ष अभियुक्त का अभियोगात्मक कथन /संस्वीकृति साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 और 25 के अनुसार साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. किसी अन्य साक्ष्य की अनुपस्थिति में तथा केवल चंद्रकुमारी द्वारा तलवार के सम्बन्ध में दिए गए प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी/3 के आधार पर, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अपीलार्थी रमेश ने उस तलवार का उपयोग किया है जो उसकी माँ, अर्थात् अभियुक्त चंद्रकुमारी के कब्जे से बरामद किया गया है। वास्तव में, वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी रमेश के निशानदेही में तलवार की बरामदगी/कब्जे को या अपीलार्थी रमेश के पास तलवार के आधिपत्य को सिद्ध नहीं किया है, परंतु केवल ऐसे साक्ष्य के अभाव में, अन्य साक्षियों के साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है। अन्यथा भी, जब्त किये गये वस्तुओं और उपयोग की गई वस्तुओं के बीच किसी भी प्रमाण/संबंध के अभाव में, ऐसी कोई निश्चित उपधारणा नहीं की जा सकती कि अभियुक्तगणों ने अपराध के समय उक्त हथियारों का उपयोग किया था।

32. वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन पक्ष ने वस्तुओं की बरामदगी के माध्यम से अपीलार्थीगण को प्रश्नगत अपराध से जोड़ने के लिए कोई अभियोगात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया हैं। वास्तव में, वर्तमान मामले में, मृतक के शव और बरामद वस्तु पर समान रक्त समूह के प्रमाण के अभाव में, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की निशानदेही पर वस्तुओं की बरामदगी कोई सारभूत साक्ष्य नहीं है।

33. अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि केवल अपीलार्थीगण की निशानदेही पर वस्तुओं की बरामदगी के आधार पर आधारित नहीं है। विचारण न्यायालय ने चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण को दोषी ठहराया है, यद्यपि सत्र न्यायाधीश, दुर्ग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अपीलार्थी रमेश ने तलवार से चोट नहीं पहुँचाई है और यह केवल इस आधार पर है कि कथित तलवार चंद्रकुमारी की निशानदेही पर बरामद की गई थी। यह साक्ष्य चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य से पुष्ट नहीं होता है, साथ ही, यह उन चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के विपरीत है जिन्होंने स्पष्ट और विशिष्ट रूप से यह साक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी रमेश और सह-अभियुक्त महेश ने तलवार से मृतक गेंदलाल को घातक चोटें पहुँचाई थीं, जिसकी पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी होती है। उपरोक्त चक्षुदर्शी और चिकित्सकीय साक्ष्य के बीच कोई विसंगति नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. यह सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष के विरुद्ध एक दाण्डिक अपील है और अपीलीय न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला है कि वह साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष

का पुनर्विवेचन करे और संहिता की धारा 386 के तहत अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष में सुधार करें। विचारण न्यायालय के निष्कर्ष के पुनर्विवेचन तथा निष्कर्ष में परिवर्तन के प्रश्न पर विचार करते हुए, **शाम सुंदर बनाम पूरन एवं अन्य**[13] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील में, संहिता की धारा 386 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सप्रकरणकता है और अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है, या दंडादेश को बरकरार रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है, या निष्कर्ष में परिवर्तन किये बिना या परिवर्तन करते हुए दण्ड की प्रकृति को बदल सकता है। उक्त निर्णय का कंडिका- 2 निम्नानुसार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "2. दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील में, संहिता की धारा 386 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकता है और अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है, या दंडादेश को बरकरार रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है, या निष्कर्ष में परिवर्तन किये बिना या परिवर्तन करते हुए दंडादेश की प्रकृति और मात्रा को बदल सकता है, किंतु इस प्रकार नहीं कि उसमें वृद्धि हो जाए। साक्ष्यों के विवेचन में उच्च न्यायालय की शक्तियाँ उतनी ही व्यापक हैं जितनी कि विचारण न्यायालय की होती हैं। तथ्यों के अंतिम न्यायालय के रूप

13AIR 1991 SC 8

में, उच्च न्यायालय का यह भी कर्तव्य है कि वह साक्ष्यों का परीक्षण करे और अभिलेख पर मौजूद संपूर्ण सामग्री के आधार पर अपने स्वयं के इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उसके समक्ष उपस्थित अपीलार्थीगण दोषी हैं या नहीं।"

35. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, **नरिंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य**[14] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संहिता की धारा 386 के तहत संपूर्ण साक्ष्य का नए सिरे से विवेचन अनुमेय है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे यह भी निर्धारित किया कि सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये दोषमुक्ति के निर्णय को पलटने में उच्च न्यायालय सही था। विचारण न्यायालय के निर्णय के स्वरूप से ही उसकी विकृति स्पष्ट झलकती है। उसके द्वारा किये गये साक्ष्यों का उसका मूल्यांकन पूर्ण रूप से अनुपयुक्त है और न्यायालय ने तात्विक अनियमितता के साथ कार्य किया है। उसने अपीलार्थियों की दोषमुक्ति अभिलिखित करने के लिए अप्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36. श्रीमती माधवी (अ.सा-2), श्रीमती पुष्पा देवी (अ.सा-3), किशनलाल (अ.सा-8), संतोष कुमार (अ.सा-12) और सुरेश (अ.सा-14) के साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी रमेश और किशोर अपराधी महेश ने तलवार से गेंदलाल को चोटें पहुँचाईं, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। अपीलार्थी रमेश द्वारा और तलवार के

14(2000) 4 SCC 603

उपयोग द्वारा पहुँचाई गई चोटों से संबंधित साक्ष्यों के पुनर्विवेचन हेतु यह एक उपयुक्त मामला है तथा श्रीमती माधवी (अ.सा.-2), श्रीमती पुष्पा देवी (अ.सा.-3), किशनलाल (अ.सा.-8), संतोष कुमार (अ.सा.-12) और सुरेश (अ.सा.-14) के साक्ष्य, जो चिकित्सीय साक्ष्य और घटना के तत्काल बाद दर्ज की गई देहाती नालिशी (प्रदर्श पी/15) द्वारा भली-भांति संपुष्ट हैं, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि वर्तमान अपीलार्थी रमेश और किशोर अपराधी महेश ने तलवार से गेंदलाल को घातक चोटें पहुँचाईं, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37. जहाँ तक अपीलार्थी जंगल और दोषमुक्त की गई सह-अभियुक्त चंद्रकुमारी द्वारा पहुंचाई गई चोटों का प्रश्न है, उपरोक्त साक्ष्यों के अनुसार, वे लाठी लिए हुए थे। डॉक्टर द्वारा मृतक गेंदलाल के शरीर पर लाठी की कोई चोट नहीं पाया गया है, इसलिए यह मानना कठिन है कि अपीलार्थी जंगल और सह-अभियुक्त चंद्रकुमारी ने लाठी से गेंदलाल को कोई चोट नहीं पहुंचाई है, परंतु उपरोक्त साक्षियों द्वारा दिए गये साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी जंगल ने किशनलाल को लाठी से चोट पहुंचाया और उसे साधारण चोट कारित किया। विचारण न्यायालय के निष्कर्ष के अनुसार, दोषमुक्त अभियुक्त चंद्रकुमारी ने किसी भी परिवादी या मृतक गेंदलाल को कोई चोट नहीं पहुँचाया है।

38. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के विवेचन के पश्चात, विचारण न्यायालय ने साक्ष्य की अपर्याप्तता के आधार पर अभियुक्त चंद्रकुमारी को दोषमुक्त कर दिया है। जैसा

कि नारायण (पूर्वोक्त) के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि साक्ष्य की अपर्याप्तता के आधार पर सह-अभियुक्त को दोषमुक्त करते समय, उन अन्य अभियुक्तों को दोषी ठहराया जा सकता है जिनके विरुद्ध अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए हैं। चंद्रकुमारी और संजय कुमार को दोषमुक्त करने में विचारण न्यायालय ने कोई अवैधता कारित नहीं किया है।

39. श्रीमती माधवी (अ.सा.-2), श्रीमती पुष्पा देवी (अ.सा.-3), किशनलाल (अ.सा.-8), संतोष कुमार (अ.सा.-12) और सुरेश (अ.सा.-14) के साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी रमेश ने किशोर अपराधी महेश के साथ मिलकर मृतक गेंदलाल की मानववध मृत्यु कारित किया है और अपीलार्थी जंगल ने किशनलाल को साधारण चोट कारित किया है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

40. जहाँ तक सामान्य आशय को साझा करते हुए किए गए अपराध और आशय का प्रश्न है, बिना किसी प्रत्यक्ष कृत्य या मस्तिष्क के पूर्व-मिलन के अन्य सह-अभियुक्तों के साथ केवल घटना स्थल पर उपस्थिति के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से सह-अभियुक्त की दोषसिद्धि विधिक रूप से कायम रहने योग्य नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह तथ्य सिद्ध करना आवश्यक है कि अपराध कारित करने के दौरान अपीलार्थीगण के बीच मस्तिष्क का पूर्व-मिलन और उनका प्रत्यक्ष कृत्य था, यद्यपि जैसा

कि नागराज (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, सामान्य आशय घटना स्थल पर अचानक भी विकसित हो सकता है।

41. वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन पक्ष यह तथ्य सिद्ध नहीं कर पाया है कि अपीलार्थी जंगल ने मृतक गेंदलाल को लाठी से चोट पहुंचाया है, किंतु वह लाठी लिए हुए था। उपरोक्त चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के अनुसार, पहले वे गेंदलाल के साथ मारपीट कर रहे थे और जब किशनलाल (अ.सा.-8) ने बीच-बचाव करने और अपने भाई गेंदलाल को बचाने का प्रयास किया, तब अपीलार्थी जंगल ने उसे लाठी से एक वार किया। यह दर्शाता है कि अपराध कारित करने के समय, यद्यपि अपीलार्थी जंगल लाठी लिए हुए था, किंतु उसने गेंदलाल को चोट पहुँचाने के लिए उसका उपयोग नहीं किया, जबकि उसके पास गेंदलाल को लाठी से ऐसी चोट पहुँचाने के लिए पर्याप्त समय और अवसर था; परंतु जब किशनलाल आया, तब उसने किशनलाल पर एक वार किया, वह महेश के साथ मौके पर आया था। अपीलार्थी जंगल उर्फ रामशरण, सह-अभियुक्त रामेश्वर उर्फ रमेश और लगभग 15 वर्ष के किशोर अपराधी महेश का पिता है। इस प्रकार की प्रकृति की घटना के समय , किसी भी आकस्मिकता से बचने के लिए पिता का अपने पुत्रों के साथ होना अस्वाभाविक नहीं है, और बच्चों द्वारा कथित कृत्य कारित किए जाने से असहमति होने की स्थिति में भी पिता का उनके साथ होना अस्वाभाविक नहीं है। किसी भी साक्षी द्वारा अपीलार्थी जंगल उर्फ रामशरण द्वारा गेंदलाल की मानववध प्रकृति की मृत्यु कारित करने

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

में मस्तिष्क के पूर्व-मिलन या किसी प्रत्यक्ष कृत्य के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है। ऐसे साक्ष्य के अभाव में और गेंदलाल को चोट पहुँचाने से संबंधित प्रत्यक्ष कृत्य की अनुपस्थिति में, यह मानना कठिन है कि अपीलार्थी जंगल उर्फ रामशरण ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ सामान्य आशय साझा करते हुए उक्त अपराध किया है; परंतु अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी जंगल उर्फ रामशरण ने किशनलाल को उस समय साधारण चोट पहुँचाई जब वह अपने भाई को बचाने आया था। मृतक गेंदलाल के शरीर पर पाई गई चोटें और प्रयुक्त हथियार यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी रमेश और अन्य किशोर अपराधी महेश ने उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से गेंदलाल की मानववध प्रकृति की मृत्यु कारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42. अपीलार्थी रामेश्वर उर्फ रमेश की भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषसिद्धि, उसकी धारा 427 के तहत दोषसिद्धि के साथ विधि के अधीन कायम रहने योग्य है। अपीलार्थी जंगल उर्फ रामशरण की भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 427 के तहत दोषसिद्धि भी विधि के अधीन कायम रहने योग्य है, परंतु मस्तिष्क के पूर्व-मिलन या प्रत्यक्ष कृत्य के किसी भी साक्ष्य के अभाव में, अपीलार्थी जंगल उर्फ रामशरण की धारा 302/34 के तहत दोषसिद्धि और दंडादेश सुस्थापित नहीं है और विधि के अधीन

कायम रहने योग्य नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्त चंद्रकुमारी को किसी भी अपराध कारित करने के लिए दोषी ठहराने हेतु पर्याप्त नहीं हैं।

43. अपीलार्थी जंगल उर्फ रामशरण को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करते समय विचारण न्यायालय ने उपरोक्त साक्ष्यों और परिस्थितियों पर विचार नहीं किया है और ऐसा करके अवैधता कारित किया है।

44. उपरोक्त कारणों से, आवेदक किशनलाल की ओर से प्रस्तुत दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक- 591/2004 खारिज किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है, तथा अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमांक- 1023/ 2004 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी रामेश्वर उर्फ रमेश की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 तथा धारा 427 के तहत दोषसिद्धि और दंडादेश को एतद्द्वारा बरकरार रखा जाता है, तथा अपीलार्थी जंगल उर्फ रामशरण की भारतीय दंड संहिता की धारा 427 और 323 के तहत दोषसिद्धि और दंडादेश को भी एतद्द्वारा बरकरार रखा जाता है। हालांकि, अपीलार्थी जंगल उर्फ रामशरण की भारतीय दंड संहिता की धारा धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्धि और दंडादेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी जंगल उर्फ रामशरण दिनांक 15.3.2003 से 17.4.2006 तक अभिरक्षा में रहा है तथा उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 तथा 427 के तहत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंडनीय अपराध के लिए अधिरोपित दंड भुगत लिया है। वह जमानत पर है, उसे विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है।

सही/- सही/-

(टी. पी शर्मा) **(आर. एन. चंद्राकर)**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

अनुवादकर्ता - उत्तरा श्रीवास्तव, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का के विरुद्ध शिकायत दर्ज होने पर ऐसी जांच में गोपनी अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी**